प्रेस नोट

आज दिनांक 12.09.2020 को मर्चेंट चैम्बर आफ उत्तर प्रदेश, कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सोसाइटी और इनकम टैक्स बार एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से A to Z ऑफ़ फेसलेस असेसमेंट एंड अपील्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट विषय पर Zoom द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया ।

सेशन चेयरमैन CA सुधींद्र जैन ने सत्र की अध्यक्षता करते हुए विषय-वस्तु पर प्रकाश डाला ।
MCUP के अध्यक्ष CA मुकुल टंडन ने सभी का स्वागत करते हुए मर्चेंट्स चेम्बर के उद्देश्य तथा उद्योग व व्यापार के निरंतर उत्थान के लिए किये गये कार्य पर अपने विचार प्रस्तुत किये साथ यह भी कहा कि इस तरह के जागरूक सत्र समय-समय पर अवश्य आयोजित होते रहने चाहिए।

KCAS के अध्यक्ष CA ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने वेविनार के पेनलिस्ट और स्पीकर्स CA अश्वनी कुमार , CA आदित्य कुमार, CA उदिति जैन और CA भावेश जिन्दल का परिचय कराया और बताया कि अब ईमानदार टैक्स पेयर का सम्मान बढ़ेगा और उसको केस में बेवजह की होने वाली परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा ।
वक्ता CA उदिति जैन और CA भावेश जिंदल ने बातया कि फेसलेस का अर्थ है कि करदाता को कर अधिकारी से मिलने की और आयकर कार्यालय जाने की कोई जरूरत नहीं है । फेसलेस असेसमेंट में अब कंप्यूटर से तय होगा कि कौन सा टैक्स असेसमेंट कौन सा अधिकारी करेगा । डेटा एनालिटिक्स और एआई के जरिए यह चुनाव किया जाएगा. मामलों का आवंटन स्वचालित तरीके से रैंडमली होगा । असेसमेंट से निकला रिव्यू भी किस अधिकारी के पास जाएगा, यह किसी को पता नहीं होगा । रिव्यू आदेश का ड्राफ्ट एक शहर में, दूसरे शहर में समीक्षा और तीसरे शहर में इसे फाइनल रूप दिया जाएगा. डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ नोटिस का सेंट्रल इश्युएंस होगा ।
इसके अलावा नए सिस्टम में असेसमेंट के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को भी खत्म कर दिया गया है । पहले उसी क्षेत्र का कर अधिकारी असेसमेंट करता था, जहां का मामला होता था लेकिन अब किसी भी राज्य या शहर का अधिकारी कहीं के भी मामले की जांच कर सकता है । इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आयकर अधिकारियों से जान पहचान बनाकर सांठगांठ करने और दबाव बनाने के हथकंडे नहीं चलेंगे. इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी से भी बचा जा सकेगा । डायनामिक ज्यूरिसिडिक्शन व टीम बेस्ड असेसमेंट के साथ करदाता स्क्रूटनी नोटिस का ऑनलाइन जवाब दे सकते हैं । फेसलेस असेसमेंट में मामलों का तेजी से निपटारा होगा हालांकि कुछ मामले

इस नई व्यवस्था के दायरे में नहीं आएंगे, जैसे गंभीर धोखाधड़ी, बड़ी कर चोरी, संवेदनशील व जांच के मामले, अंतरराष्ट्रीय कर मामले, काला धन अधिनियम व बेनामी संपत्ति के मामले ।

फेसलेस अपील के तहत अपील किसी भी अधिकारी को रैंडम तरीके से आवंटित की जा सकती है । अपील पर निर्णय लेने वाले अधिकारियों की पहचान अज्ञात रहेगी. अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने/कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है. इस व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिकली जवाब दिया जा सकता है । अपीलीय निर्णय व रिव्यू टीम आधारित होंगे. हालांकि कुछ मामले इस नई व्यवस्था के दायरे से बाहर होंगे, जैसे- गंभीर धोखाधड़ी, बड़ी कर चोरी, संवेदनशील व जांच के मामले, अंतरराष्ट्रीय कर मामले, काला धन अधिनियम व बेनामी संपत्ति के मामले ।

CA उदिति जैन और CA भावेश जिन्दल ने फैसलेस केस सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे आसानी से कर सकेंगे इसके बारे में विस्तार से सदस्यों को जानकारी दी ।

CA अश्विनी कुमार जी ने प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया ।

श्री अतुल कनोडिया, कौंसिल मेंबर, मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, ने सभी वक्ताओं एवं प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर मुख्य रूप से CA अखिलेश तिवारी, मर्चेंट्स चेम्बर के सचिव महेंद्र नाथ मोदी तथा ZOOM पोर्टल के माध्यम से 100+ लोग सत्र के सहभागी बने ।